

प्रेषक,

आलोक रंजन,  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,  
(जनपद-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं मा० काशीराम नगर को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश ।


भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक ०४ अगस्त, 2011  
विषय- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) की नियमित समीक्षा एवं  
भ्रमण के समय कार्यों के निरीक्षण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि वर्ष 2009-10 से प्रदेश में भारत सरकार के समान  
मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रम में आईडब्ल्यूएमपी कार्यक्रम भूमि विकास एवं जल संसाधन  
विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए  
जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम  
की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिये तथा अपने भ्रमण के समय इन कार्यों का  
भी निरीक्षण करना सुनिश्चित करें, जिससे इस योजना का संचालन समयवद्ध रूप से  
पूर्ण किया जा सके एवं योजना का पूरा लाभ संबंधित लाभार्थियों को मिल सके ।

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने रत्तर से  
इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

  
(आलोक रंजन)  
कृषि उत्पादन आयुक्त ।

संख्या- /54-1-11-1(समादेश)/2008 टीसी तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 2- आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश परियोजना/रागंगा कमाण्ड  
परियोजना लखनऊ /कानपुर ।

आज्ञा से,

(संजय कृष्ण)  
संयुक्त सचिव ।